

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone:25487217/25487267

Ref: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/DCSEM/Enft/2021/186

मार्च March 31, 2021

परिपत्र /CIRCULAR

विषय: कोविड-19 महामारी आपदा प्रबंधन एवं कन्टेन्मेंट के लिए निर्देश।
Sub: Directions for Containment and Management of Covid-19 Epidemic Disaster.

उपरोक्त विषय पर राजस्व एवं वन, आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय मुंबई-400032 द्वारा जारी आदेश संदर्भ सं. DMU/2020/CR.92/DisM-1 दिनांक 27 मार्च 2021 के अनुसरण में मुंबई स्थित अणुशक्तिनगर एवं पऊवि की कोलोनियों के निवासियों को निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है। In accordance with order under Ref. No.DMU/2020/CR.92/DisM-1 dated 27th March 2021 issued by Department of Revenue and Forest, Disaster Management, Relief and Rehabilitation, Mantralaya, Mumbai-400032 on the above subject (copy enclosed), all residents of Anushaktinagar and DAE colonies in Mumbai are required to adhere to the following restrictions:

- 1) रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को इकट्ठा होना मना है। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्येक अपराधी को रु. 1000/- (एक हजार रुपए) दण्ड के रूप में देय होंगे। Gatherings of more than 5 people will not be allowed from 8 PM to 7 AM. Violation of same will attract a penalty of Rs.1000/- per head on the offenders.
- 2) मुंबई स्थित अणुशक्तिनगर एवं पऊवि की कोलोनियों के सभी सार्वजनिक स्थल रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्येक अपराधी को रु. 1000/- (एक हजार रुपए) दण्ड के रूप में देय होंगे। All Public Places in the DAE colonies in Mumbai to remain closed from 8 PM to 7 AM. Violation of same will attract a penalty of Rs.1000/- per head on the offenders.
- 3) बिना मास्क के पाए जाने पर व्यक्ति को रु.500/- (पाच सौ रुपए) दण्ड भरना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकनेवाले व्यक्ति को दंडस्वरुप रु. 1000/- (एक हजार रुपए) देने होंगे। Any person found to be without masks shall be fined an amount of Rs.500/-. Any person found to be spitting in public place will be fined an amount of Rs.1000/-
- 4) सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। There will be no Social/Cultural/Political/Religious gatherings.
- 5) विवाह के समारोह में केवल 50 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति है। Not more than 50 people will be allowed to be present only for the purpose of weddings.
- 6) अंत्यसंस्कार/दाहसंस्कार के लिए केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति है। Not more than 20 people will be allowed to be present for the purposes of performance of last rites.
- 7) मुंबई स्थित पऊवि की कोलोनियों के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समिति के सदस्य निर्णय लें एवं उचित सोशल डिस्टन्सिंग के साथ आयोजनों के लिए स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रति घंटा आगंतुकों की अधिकतम संख्या घोषित करें। यह सुझाव दिया जाता है कि दौरे के लिए ऑनलाईन पंजीकरण जैसी सुविधाजनक प्रणालियों का उपयोग करना आरंभ करें। ऐसे जगहों पर निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रवेश किया जाए। Management Committee Members of all religious places in DAE colonies in Mumbai may decide and declare the maximum number of visitors per hour depending upon the availability of space for movement and gathering with proper social distancing. It is advised that convenient systems like online reservations for visits may be initiated. Entry to these places shall be subject to following restrictions.
 - a. बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। No entry will be allowed without proper wearing of Masks.
 - b. शरीर के तापमान मापने के उपकरण का प्रयोग किया जाए ताकि कोई भी बुखारग्रस्त व्यक्ति प्रवेश न कर सके। Temperature measuring devices to be used to ensure no one with fever gets an entry.
 - c. विविध उपयुक्त स्थलों पर पर्याप्त सनिटायज़र रखें। Adequate hand sanitizers to be kept at various convenient locations.
 - d. संबंधित संस्थापन सुनिश्चित करें कि सभी आगंतुकों को पूरा समय मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन कराने हेतु पर्याप्त मानवशक्ति उपलब्ध है। Concerned establishments to ensure presence

of enough manpower to enforce wearing of masks as well as maintaining social distances by all visitors all the times.

मुख्य सुरक्षा अधिकारी अणुशक्तिनगर, निवासियों द्वारा प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करें। ये आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक या आगले आदेशों तक जो भी पहले हो, लागू रहेंगे। CSO, Anushaktinagar may ensure that the restrictions are followed by the residents. These orders shall remain in force upto 15th April 2021 or until further orders whichever is earlier.

शैलजा प्रकासम

31/3/2021

(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर एवं अन्य मुंबई स्थित पऊवि कोलोनियों के सभी निवासी-सूचना पट्ट द्वारा-संबंधित अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से- प्रदर्शन/व्यापक प्रसार हेतु। All residents in Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai through Notice Board - Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

- प्रतिलिपी Copy to:
1. नियंत्रक, भापअके Controller, BARC
 2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar